कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/ 36 भोपाल,दिनांक 14|1|2000

प्रति,

समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण।

उपरोक्त विषय में प्रमुख सचिव,राजस्व,खनिज साधन एव वन विभाग की ओर से संयुक्त रुप से जारी किये गये पत्र क्रमांक 147/99/10-3 दिनांक 12-1-2000 की प्रति संलग्न प्रेषित है ।

कृपया शासन के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई पालन सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त पत्र की कंडिका 4 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कंडिका 3 में उल्लिखित प्रकिया पूर्व में स्वीकृत खदानों के लिए भी लागू की जाने का उल्लेख है । कंडिका 3 में उल्लेख है कि स्वीकृत खदान की सीमा में खदान ठेकेदार के व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाये जायेंगे और उसमें क्रमवार नंबर डाले जायेंगे जिसका निरीक्षण खनिज अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप वनमंडलाधिकारी व्दारा किये जाने व मुनारे सही पाये जाने के पश्चात् ही उत्खनन हेतु क्षेत्र का कब्जा दिया जायेगा ।

इसका अभिप्राय यह है कि पूर्व स्वीकृत खदानों जिनकी लीज अवधि समाप्त नहीं हुई है उनकी सीमा अंकित की जाकर मुनारे बनाये जायं अभी खदानों में आगे उत्खनन करने दिया जाय ।

यदि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पाया जाता है ऐसी खदानों को तत्काल निरस्त कराया जाय।

कंडिका [illegible] के अनुसार खदान क्षेत्र का प्रति माह [illegible] अधिकारी/जिलाध्यक्ष [illegible] मनोनीत अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी व्दारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त [illegible] खदान [illegible] का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे कि ठेकेदार व्दारा खदान क्षेत्र के बाहर [illegible] नहीं किया जा रहा है ।

[illegible] की समस्त खदानों के संबंध में ऐसा [illegible] [illegible] मुख्य वन संरक्षक([illegible]) को [illegible]

कृपया मुख्य वनसंरक्षक(संरक्षण)को वन क्षेत्रो में स्वीकृत खदानों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में तत्काल भेजें ताकि वन क्षेत्रों में स्वीकृत खदानों का विवरण मुख्य वनसंरक्षक(संरक्षण) कार्यालय में उपलव्ध रहे ।

शासन के उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि शासन वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर पूर्णत: नियंत्रण हेतु कटिबध्द है अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शासन की इस प्रतिबध्दता के अनुरुप शासन के पत्र में उल्लेखित निर्देशों को कड़ाई से पालन करेंगे ।

यह स्पष्ट किय जाता है कि यदि शासन के इननिर्देशों के पश्चात् भी वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पाया गया तो इसके लिए आप पूर्णत: उत्तरदायी ठहराये जायेगे । इस संबंध में जो भी कर्मचारी किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतते हैं उनके विरुध्द कठोर कार्यवाही की जाय और अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजे जांय ।

शासन के इस पत्र की प्रति जिलाध्यक्ष को भी प्रेषित करें तथा उनसे निवेदन करें कि प्रशासन/पुलिस तथा वन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित कराकर इस संबंध में ठोस व प्रभावी रणनीति तैयार कर उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

सहपत्र-उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

पृक/निस/ 37 भोपाल,दिनांक 15/1/2000

प्रतिलिपि :-

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय मध्यप्रदेश की ओर शासन के उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है ।

कृपया शासन के पत्र में उल्लेखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें । इस संबंध में आपके स्तर से आवश्यकतानुसार आयुक्त तथा पुलिस महा निरीक्षक के साथ चर्चा कर वन विभाग को पुलिस व प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित करें । वनमंडलाधिकारियों की बैठक आयोजित कर एक रणनीति तैयार करें और उसके अनुरुप वनमडलाधिकारियों की जिलाध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित कर रणनीति बनाने हेतु निर्देशित करें । वनमंडलाधिकारियों से प्रति

क्रमाह शासन के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5 में उल्लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त कर मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) को भेजना सुनिश्चित करें ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके वृत्त में बन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन के संबंध में प्रभावी व कठोर कार्यवाही होना नहीं पाया गया तो आपको व्यक्तिश: उत्तरदायी ठहराया जायगा ।

सहपत्र-उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

पृक/निस/ 38 भोपाल,दिनांक 14/1/2000

2- मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अवध उत्खनन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रो में आपकी शाखा के अधिकारियों को भेजकर आकस्मिक निरीक्षण कराये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वन क्षेत्रो में अवध उत्खनन पर नियंत्रण है । वनमंडलाधिकारियों से प्रति माह शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करें व प्रति माह एक टीप मुझे भेजना सुनिश्चित करें ।

3- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक(मुख्य वन संरक्षक संरक्षण को छोडकर)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कृपया अपने प्रभार के वृत्तों में शासन के उपरोक्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

सहपत्र-उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल